रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/9

(5)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 258] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 1999/वैशाख 28, 1921
No. 258] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 1999/VAISAKHA 28, 1921

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 1999

का.आ. 350 (अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताज ट्रापेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (जिसे इसमें प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से इस अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण गठित करती है, अर्थात् :—

(1)	आयुक्त, आगरा डिवीजन	अध्यक्ष
(2)	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(3)	उप पुलिस महानिरीक्षक, आगरा रेंज	सदस्य
(4)	सदस्य-सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(5)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण	सदस्य संयोजक

2. प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश राज्य में ताज ट्रापेजियम जोन (उपाबंध देखें) में आगरा डिवीजन की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(i) ताजमहल के संरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों को और ऊपर कथित क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रगति को मानीटर करना;

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

(iii) मोटर यानों द्वारा विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना और ईं क्वालिटी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना;

(iv) उक्त कथित क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी पर्यावरण संबंधी मुद्दे व निपटाना।

3. प्राधिकरण की पूर्ववर्ती शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होंगे।

4. प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत होगा।

5. ताज ट्रापेजियम जोन (उपाबंध देखें) की भौगोलिक सीमाएं ताजमहल के पश्चिम में 26° 45' उ त 77°15' पू से 27°45' उ तथा 77°15' पू के बीच में और ताजमहल के पूर्व में 27° 00' उ तथा 78° 30' पू से 27° 30' उ तथा 78° 30' पू० के बीच विष चतुर्भुजाकार में निर्धारित की गई है।

6. प्राधिकरण उन्हें समनुदेशित कार्य को सुकर बनाने के लिए विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगा।

7. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट दो मास में कम से कम एक बार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को देगा।

8. प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित होगा।

[फा.सं. जेड-20018/1/99-सी.पी.ए.

विजय शर्मा, संयुक्त सचि

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 17th May, 1999

S.O. 350 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority (herein referred to as the Authority) consisting of the following persons for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

(1)	Commissioner, Agra Division.	— Chairman.
(2)	Chairman, Uttar Pradesh State Pollution Control Board.	— Member.
(3)	Deputy Inspector General of Police, Agra Range.	— Member.
(4)	Member-Secretary, Central Pollution Control Board.	— Member.
(5)	A representative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.	— Member.
(6)	A representative of the Ministry of Environment and Forests.	— Member.
(7)	A representative of the Archaeological Survey of India.	— Member.
(8)	Vice-Chairman, Agra Development Authority.	— Member-Convener.

2. The authority shall, within the geographical limits of Agra Division in the Taj Trapezium Zone (see Annexure) in the State of Uttar Pradesh, have the power to—

(i) monitor progress of the implementation of various schemes for protection of the Taj Mahal and programmes for protection and improvement of the environment in the above said area ;

(ii) exercise powers under section 5 of the said act;

(iii) take all necessary steps to ensure compliance of specified emission standards by motor vehicles and ensuring compliance of fuel quality standards;

(iv) deal with any environmental issue which may be referred to it by the Central Government or the State Government of Uttar Pradesh relating to the above said area;

(7)

3. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the overall supervision and contr the Cen. . Government.

4. The Authority shall be authorised to exercise the powers under section 19 of the said Act.

5. The geographical limits of the Taj Trapezium Zone (see Annexure) have been defined in the shape of a trape between 26° 45' N & 77° 15' E to 27° 45' N & 77° 15' E in the West of the Taj Mahal and in the East o Mahal between 27° 00' N & 78° 30' E to 27° 30' N & 78° 30' E.

6. The Authority may co-opt experts for facilitating the work assigned to it.

7. The Authority shall furnish a report about its activities at least once in two months to the Central Goverm in the Ministry of Environment and Forests.

8. The Authority shall have its headquarters at Agra in the State of Uttar Pradesh.

[File No. Z-20018/1/99-(
VIJAI SHARMA, Jt. :

ANNEXURE

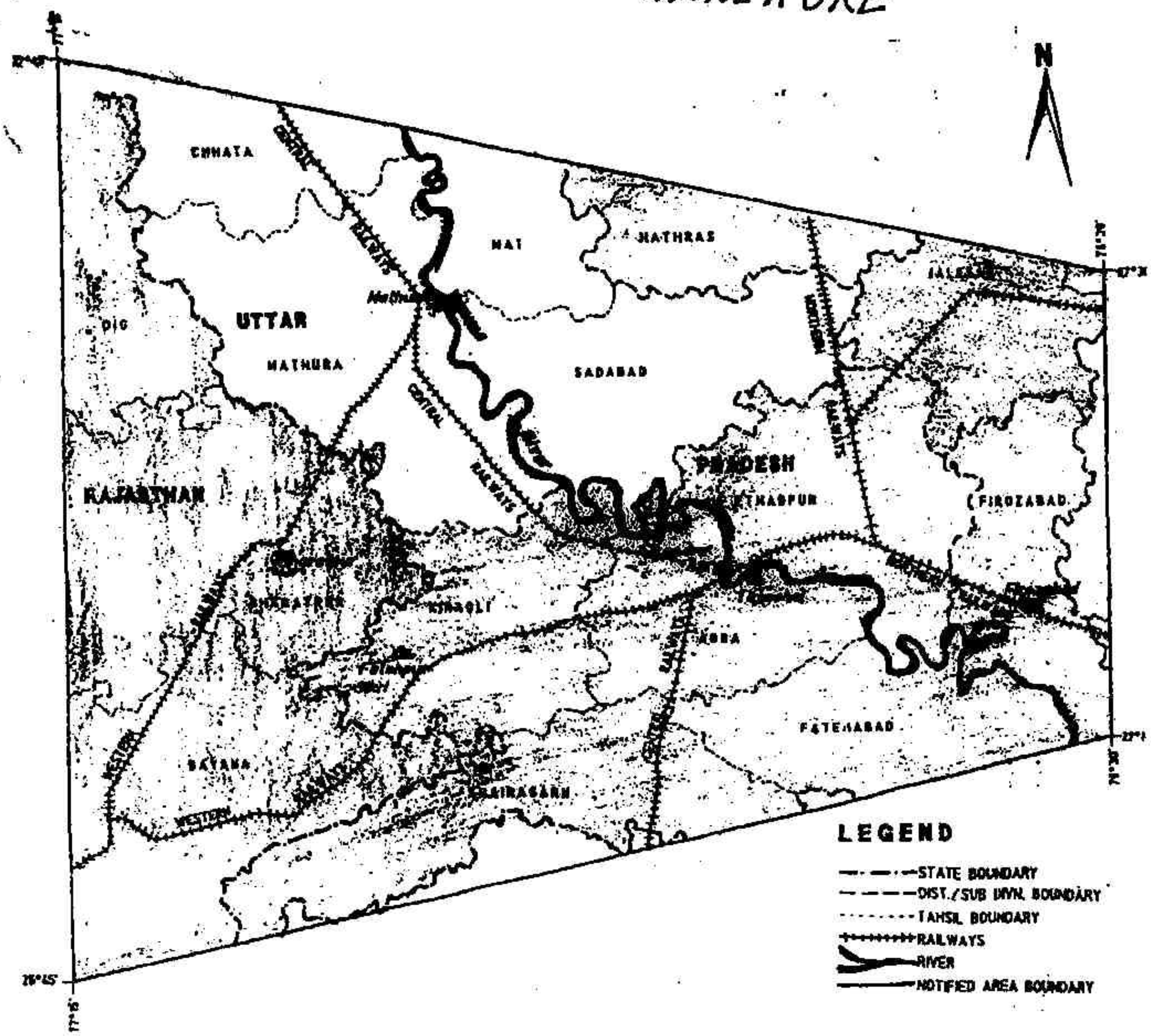

FIG. GEOGRAPHICAL LIMITS OF THE TAJ TRAPEZIUM ZONE

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054